अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2020 को सम्पन्न कोविड–19 की दैनिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 17.08.2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे से कोविड–19 के अन्तर्गत कार्यो की निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) कोविड अस्पताल हेतु 200 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की समीक्षा की गई सिविल सर्जन एवं डी0पी0एम0 द्वारा आश्वस्त किया गया कि संध्या तक उक्त संख्या में बेड प्राप्त हो जाएगा।

(अनु0: डी0पी0एम0 / सिविल सर्जन)

(2) बैठक में बताया गया कि कोविड अस्पताल में साफ–सफाई नहीं होने एवं भोजन की गुणवत्ता में कमी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। सिविल सर्जन एवं डी0पी0एम0 को निदेशित किया गया कि साफ–सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया कि गया कि अपने स्तर से साफ–सफाई एवं उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव / सिविल सर्जन)

(3) बैठक में बताया गया कि सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी तरह आटो में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियों को बैठा कर ले जाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के बाद भी दुकानें खुली हुई मिल रही है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि निर्गत निदेशों का अनुपालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के माध्यम से करायेंगे एवं निदेशों के अवहेलना करने वाले सवारी वाहन चालक, दुकान एवं अन्य के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वैसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष जिनके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव)

(4) सिविल सर्जन एवं डी0पी0एम0 को निदेशित किया कि कंटेमनेंट जोन में अवस्थित सभी घरों में कोविड–19 की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी कोविड–19 की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगो के कोविड–19 की जाँच हेतु पंचायत / वार्ड की प्राथमिकता सूची सिविल सर्जन को भेजेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / सिविल सर्जन / अपर समाहर्त्ता)

(5) अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि कंटेनमेंट जोन का अनुश्रवण करेंगे तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव)

(6) बैठक में बताया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक द्वारा 3448 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजो के पता, मोबाईल नम्बर आदि में त्रुटि रहने के कारण राज्य स्तर से Step One के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के अनुश्रवण में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त पत्र के आलोक में सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि होम आईसोलेशन में रहने वाले पॉजिटिव व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं आवश्यक सूचनाओं के संकलन हेतु टीम का गठन करेंगे एवं इस टीम में RBSK कर्मियों एवं BHM/BCM को सम्मिलित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर भौतिक सत्यापन करा कर प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / सिविल सर्जन)

(7) नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर को निदेशित किया गया कि अगस्त माह में हुए कोविड–19 की सभी जाँच में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिससे कि स्पष्ट हो सके कि किन–किन पंचायतों/प्रखण्ड में पॉजिटिव की संख्या किस अनुपात में बढ़ी है। साथ ही पंचायतवार कोविड–19 की एक्टीव केसेस की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में डी0पी0एम0, नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर को आवश्यक सहयोग करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर)

18/8/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10.2939/ गो0 बक्सर दिनांक 18 / 8 /2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर / डी0पी0एम0, बक्सर / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर / नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर / विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव / नोडल पदाधिकारी, आईसोलेशन सेंटर अनुश्रवण कोषांग / नोडल पदाधिकारी टेस्टिंग एवं प्रतिवेदन कोषांग / सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता / उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।